प्रथम स्मार

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्र सं0–09/महा0(विविध)–04–10/2019:– 4356 राँची, दिनांकः– 09/08/19

प्रेषकः– **राजेन्द्र प्रसाद,**
उप सचिव (अभि0)।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।
सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

विषयः– बैंक खातो में संधारित राशि की सूचना उपलब्ध कराने एवं राशि को राजकोष में जमा कराने के संबंध में।

प्रसंगः– योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड राँची का पत्रांक–1899/वि0 दिनांक–16.07.2019, पत्रांक–1941/वि0 दिनांक–22.07.2019, पत्रांक–2066/वि0 दिनांक–01.08.2019 तथा विभागीय पत्रांक–4144 दिनांक–31.07.2019।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न करते हुए कहना है कि बैंक खातो में संधारित राशि की सूचना उपलब्ध कराने एवं राशि को राजकोष में जमा कराने के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची के प्रासंगिक पत्र में वर्णित निदेशों तथा संलग्न Bank detail में आपसे संबंधित मामलों की समीक्षा कर प्रतिवेदन दिनांक–08.08.2019 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक–4144 दिनांक–31.05.2019 द्वारा किया गया था। याचित प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची द्वारा उनके पत्रांक–2066/वि0 दिनांक–01.08.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया है।

कृपया विषयांकित मामले से सबंधित वांछित प्रतिवेदन निश्चित रुप से विशेष दूत के माध्यम से दिनांक–13.08.2019 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुंनिश्चित किया जाय ताकि मामले का निष्पादन किया जा सके।

विश्वासभाजन
08/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)।

पत्रांक : वित्त–20 / विविध–09 / 2016(खण्ड–I)......2090/A.

झारखण्ड सरकार

योजना– सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

सं० स० उ० स० (व्यवि०)

प्रेषक,

दीप्ति जयराज,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
झारखण्ड, राँची।

अपर मुख्य सचिव कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
07 AUG 2019

राँची, दिनांक 06/08/19

विषय : **बैंक खातों में संधारित राशि की सूचना उपलब्ध कराने एवं राशि को राजकोष में जमा करने के संबंध में।**

प्र० 9
08/08/2019

1579 (आप्र०)
08/8/19

महाशया / महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना–सह–वित्त विभागीय पत्रांक 1899 / वि० दिनांक 16.07.2019 के द्वारा आपके विभाग के अधीन संचालित विभिन्न बैंक खातों की विवरणी उपलब्ध कराते हुए उक्त में संधारित राशि की समीक्षोपरांत बैंक खातावार कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में कुछेक विभागों के द्वारा अनौपचारिक तौर पर जानकारी दी गयी है कि पत्रांक 1899 / वि० दिनांक 16.07.2019 के साथ उपलब्ध करायी गयी विवरणी में विभागों के अधीन संचालित कुछ बैंक खातों का नाम सम्मिलित नहीं है। साथ ही, बैंकों में संधारित राशि में भी अन्तर दर्शित हो रहा है।

वर्णित प्रसंग में अनुरोध है कि आपके विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंक खातों एवं उक्त में संधारित राशि की सूचना / विवरणी निम्न प्रपत्र में दिनांक 10.08.2019 तक योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	DDO / नियंत्री पदाधिकारी का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	संधारित राशि	जिस कार्य हेतु बैंक में राशि रखी गयी हो।
1	2	3	4	5	6	7

विश्वासभाजन,

दीप्ति 5/8/19.

(दीप्ति जयराज)
सरकार के विशेष सचिव।

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव / सचिव कोषांग)
संख्या 2411
दिनांक 07.08.19

पत्रांक : वित्त–20/विविध–09/2016......2066/A०

झारखण्ड सरकार

योजना– सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अविनाश कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 01/08/19

विषय : बैंक खातों में संधारित राशि की सूचना उपलब्ध कराने एवं राशि को राजकोष में जमा कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना–सह–वित्त विभागीय पत्रांक 1899/वि० दिनांक 16.07.2019 के द्वारा बैंक खातों में संधारित राशि की बैंक खातावार प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2019 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक विभाग को अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित परिपत्र के आलोक में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन यथाशीघ्र योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

01-08-19

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार, अपर मुख्य सचिव कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची
02 AUG 2019

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)
संख्या 2342
दिनांक 02.08.19